मैनुअल संख्या-07

''नीति निर्धारण व क्रियान्वयन की सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था का विवरण'' नीति निर्धारण हेतुः

क्र. सं.	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1.	ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन/क्रियान्वयन करना।	हाँ	प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए स्थानीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के गजट संख्या 447/सत्रह–बी–एक–दो–(क)–चार–2000 लखनऊ दिनांक 11 फरवरी, 2002 के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। सम्प्रति यही व्यवस्था उत्तराखण्ड में भी प्रभावी एवं प्रचलित है। 1. अध्यक्ष– ग्राम पंचायत का प्रधान। 2. सचिव– ग्राम पंचायत स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हो तो उनके मुख्य अध्यापकों में से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से ज्येष्ठतम् सदस्य। 3. सदस्य– बेसिक स्कूल के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी), जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे।

2.	विद्यालय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, अनुश्रवण, निरीक्षण आदि कार्यो को सम्पादित करना।	हाँ	विद्यालय स्तर पर बालगणना, नामांकन, निर्माण कार्य तथा गुणवता पूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने सम्बन्धी समस्त कार्यो का अनुश्रवण विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा किया जाता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन पूरे ग्राम सभा स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक से अधिक विद्यालय सम्मिलित होते है। ग्राम शिक्षा समिति एक बड़ी इकाई होने के कारण अपना पूरा समय प्रत्येक विद्यालय को नहीं दे पाती है। उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं वर्तमान समय में शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक गुणवता के लिए अनेक लाभकारी योजनाए प्रत्येक विद्यालय में संचालित हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी संचालन की आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा शासनादेश संख्या 06/बे0शि0/2002 दिनांक 30.03.2002 के द्वारा विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया गया है। 1. अध्यक्ष– ग्राम प्रधान द्वारा नामित सेवित विद्यालय के ग्राम पंचायत का सदस्य। 2. सचिव– विद्यालय का प्रधानाध्यापक। 3. सदस्य– प्रत्येक कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र/छात्रा की माता (जिसमें कम से कम दो सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्रों की माताएं) उपलब्ध होने पर चयनित की जाएगी। 4. सदस्य– ग्राम के तीन प्रबुद्ध व्यक्ति (अवकाश प्राप्त अध्यापक/भूतपूर्व सैनिक, स्वैच्छिक संगठन आदि) जिन्हें ग्राम प्रधान की संस्तुति पर समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। 5. सदस्य– दो पुरूष अभिभावक (जिन्हें प्रधानाध्यापक की संस्तुति पर समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।)

3.	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न हस्ताक्षेपों को लागू करने में अपना महत्वपूर्ण परामर्श प्रदान करना।	हाँ	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न हस्तक्षेपों यथा निर्माण कार्य समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0, एन0पी0ई0जी0एल0, के0जी0बी0वी0, ई0जी0एस0, ए0आई0ई0 आदि को प्रभावशाली ढंग से लागू करने, कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनो की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य में राज्य संदर्भ समूह का गठन किया गया है। राज्य संदर्भ समूह में उपरोक्त हस्ताक्षेपों में दक्षता रखने वाले शिक्षाविदों, समाज सेवक, अध्यापकों, व्यवसायी, स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया जाता है कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए राज्य संदर्भ समूह अपने महत्वपूर्ण विचारों व सुझावों से समय–समय पर अवगत कराता रहता है।
4.	जनपद स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु सुझाव तथा विचारों से जिला परियोजना कार्यालय को अवगत कराना कराना।	हाँ	जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए अपने महत्वपूर्ण परामर्श व विचारों से जिला परियोजना कार्यालय को अवगत करने क लिए जनपद स्तर पर जिला सन्दर्भ समूह का गठन किया गया है। जिला सन्दर्भ समूह में जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षाविद, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
5.	विकासखण्ड/क्षेत्र स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु एक समिति का गठन किया गया है।	हाँ	क्षेत्र पंचायत स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न कार्यक्रमो को लागू करने एवं उनके नियमित अनुश्रवण हेतु क्षेत्र पंचायत शिक्षा अनुश्रवण हेुत क्षेत्र पंचायत शिक्षा अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जनप्रतिनिधियों की पूरी भूमिका है। 1. अध्यक्ष– क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष। 2. सचिव– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी। 3. सदस्य– क्षेत्र पंचायत का एक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत के रूप में चुना गया हों (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित) 4. सदस्य– राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र

			या उसका भाग विकासखण्ड की सीमा में पड़ता हो। 5. सदस्य– एक ग्राम प्रधान जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य हो (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।) 6. सदस्य– क्षेत्र पंचायत समिति का एक अनु0जा0/अनु0ज0जा0 का सदस्य (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।) 7. सदस्य– क्षेत्र पंचायत समिति की एक महिला सदस्य (क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।) 8. सदस्य– खण्ड विकास अधिकारी 9. सदस्य– एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, अच्च प्राथमिक विद्यालय (सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित) 10. सदस्य– एक वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय (सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित) 11. सदस्य– विकासखण्ड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के एक प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या (जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित)
6.	जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यों की प्रगति का विश्लेषण करना तथा नियमित अनुश्रवण करना।	हाँ	जनपद स्तर पर प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की प्रगति का विश्लेषण करना, सम्बन्धित फर्म की प्रगति एवं मासिक आख्या तथा कार्यवृत्त को राज्य मिशन में प्रेषित करने हेतु जिलास्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। 1. अध्यक्ष– जिलाधिकारी 2. उपाध्यक्ष– मुख्य विकास अधिकारी 3. सदस्य– जिला पंचायत विकास अधिकारी 4. सदस्य– अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के एक प्रमुख/वरिष्ठ प्रमुख/कनिष्ठ प्रमुख (देवनागरी वर्णमाला के क्रम में एक वर्ष के

			लिए नामित) 5. सदस्य– एक महिला प्रमुख (देवनागरी वर्णमाला के क्रम में एक वर्ष के लिए नामित) 6. सदस्य– जनपद की नगर निगम, नगर पालिका, नगर महापलिका, नोटीफाइड ऐरिया द्वारा नामित एक सदस्य (एक वर्ष के लिए नामित) 7. सदस्य– एक शिक्षाविद (जिलाधिकारी द्वारा नामित) 8. सदस्य– शिक्षक प्रतिनिधि एक (बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में जनपद के राष्ट्रीय/राज्य पुरूस्कार प्राप्त अध्यापकों की देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार तैयार की गई सूची में से, (जिलाधिकारी द्वारा नामित एक वर्ष के लिए एक शिक्षक) 9. सदस्य– जिला विद्यालय निरीक्षक 10. सदस्य– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी 11. सदस्य– जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0सी0डी0एस0) 12. सदस्य– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 13. सदस्य– लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता 14. सदस्य– राज्य स्तर से नामित नोडल अधिकारी 15. सचिव– जिला/विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी

नीति के कार्यान्वयन हेतु:

क्र. सं.	विषय / कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां / नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1.	विद्यालय के सेवित क्षेत्र में बाल गणना करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
2.	विद्यालय में समस्त बच्चों का नामांकन करवाना	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
3.	विद्यालय में बच्चों का शतप्रतिशत धारण सुनिश्चित करना	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
4.	सहभागी क्रियाओं के द्वारा सर्वेक्षण, सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय मानचित्रण करवाना तथा प्राथमिकता के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना तैयार करना व क्रियान्वित करना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।
5.	ग्राम शिक्षा समिति की प्रतिमाह बैठक करवाना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।
6.	ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को विभाग की समस्त योजनाओं एवं उसमें स्वीकृत धनराशि की जानकारी देना तथा उन योजनाओं में समिति के सदस्यों का योगदान निश्चित करना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।
7.	ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालयों के लिए प्राप्त अनुदानों का उचित उपयोग एवं ततसम्बन्धी अभिलेखों का रखरखाव करना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।
8.	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालय, चारदीवारी पेयजल, भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष का कार्य करना व इन कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखों को सुरक्षित रखना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।
9.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
10	ग्राम पंचायत स्तर पर पठ्न पाठन के लिए संविदा के आधार पर	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।

	चयनित शिक्षाआचार्यों, अनुदेशकों, शिक्षा स्वयंसेवको व शिक्षा मित्रों का चयन करना।		
11.	विद्यालय कोटिकरण में सहयोग करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
12.	सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य में सहयोग करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
13.	विद्यालय का नियमित अनुश्रवण करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
14.	विद्यालय के वार्षिकोत्सव व अन्य राष्ट्रीय पर्वो में प्रतिभाग करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन।
15.	ई0सी0सी0ई0 हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री क्रय करना तथा विद्यालय हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री को क्रय करना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन।
16.	एन0पी0ई0जी0ई0एल0 के अन्तर्गत बालिकाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन सामग्री का क्रय कर वितरण सुनिश्चित करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति।
17.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति।
18.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति।
19.	विद्यालय विकास अनुदान की धनराशि को विद्यालय हित में व्यय करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति।
20.	मातृ शिक्षक संघ/शिक्षक अभिभावक संघ का गठन करना व उसकी नियमित बैठक सम्पादित करना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति का गठन
21	मध्याह्न भोजन योजना को लागू करना।	हाँ	विद्यालय प्रबन्धन समिति।
22.	कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन करना।	हाँ	ग्राम शिक्षा समिति।